BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

NEW DELHI

INDEX

IN

REPLY BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3

IN

ORIGINAL APPLICATON NO. 556 OF 2022

Amit Das ....Applicant

Versus

State of Uttarakhand and Others ....Respondents

Sl. No.	Particulars	Page
1.	Personal Appearance Exemption Application	1-2
2.	Reply by way of Affidavit	3-8
3.	**ANNEXURE-1** Copy of Sealing Order dated 12.10.2020 along with the sealing report dated 14.10.2020.	9-
4.	**ANNEXURE-2** Copy of order dated 05.11.2020 passed by the Hon'ble Chairman, MDDA/Commissioner, Garhwal Mandal.	10-11
5.	**ANNEXURE-3** Copy of Show Cause Notice dated 12.10.2022 issued by the Respondent No. 3.	12-

6.	**ANNEXURE-4** Copy of report dated 07.02.2023 along with its typed copy and photograph revealing the demolition/removal of the unauthorized construction.	13-15
7.	**ANNEXURE-5** Copy of order dated 15.06.2023 passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in Contempt Petition No. 56 of 2023.	16-18

Date: 7.7.2023

[VINAY GARG]
Counsel for Respondent No. 3

VINAY GARG
Advocate
Supreme Court of India
C-253 (F.F.) Defence Colony
New Delhi-110024
PH.: (011) 51740212

(1)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

NEW DELHI

NOTARY V.L.SHUKLA Advocate & Notary Reg.No.27(01)/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Personal Appearance Exemption Application

No…………OF 2023

On Behalf of

Secretary MDDA, Transport Nagar Saharanpur Road, Dehradun.

…….Applicant/Respondent No. 3

IN

ORIGINAL APPLICATON NO. 556 OF 2022

Amit Das ....Applicant

Versus

State of Uttarakhand and Others ……..Respondents

To,

The Hon'ble the President / Chairman and his other companion Members of the aforesaid Tribunal.

NOTARY V.L.SHUKLA Advocate & Notary Reg.No.27(01)/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) 6/7/2023

The humble application of the above named Applicant/Respondent No. 3 most respectfully showeth as under.

1. That full facts have been disclosed in the annexed Reply by way of Affidavit.

1. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 02.05.2023 has directed the applicant to remain present through video conference on 11.07.2023. The applicant submits that the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital has, in Contempt Petition No. 56 of 2023- Smt. Preetam Kaur V/s

(2)

Mohan Singh Barnia, directed the applicant to remain physically present before the Hon'ble High Court on 11.07.2023 and therefore the applicant would not be able to remain present through video conference before the Hon'ble Tribunal on the said date.

2. That in view of the facts stated above and in the annexed Reply by way of Affidavit, it would be expedient just and proper and in the interest of justice, if the personal appearance of the applicant on 11.07.2023 through video conference before this Hon'ble Tribunal is exempted, otherwise the applicant shall suffer irreparable loss and injury.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to exempt the personal appearance of the Applicant on 11.07.2023 through video conference OR to pass any other or further order which this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper under the circumstances of the matter.

NOTARY
V.L.SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27(01)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Applicant / Respondent No.3
(Through Counsel)

Dated : 6th July, 2023

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATON NO. 556 OF 2022

Amit Das
.......Applicant

Versus

State of Uttarakhand and Others
........Respondents

Reply by way of Affidavit on behalf of Respondent No. 3- Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun.

I, Mohan Singh Barnia, aged about 56 years, S/O. Shri Bishan Singh Barnia, presently posted as Secretary, Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun/Respondent No. 3 do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the Deponent is presently posted as Secretary, Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun/Respondent No. 3. The Deponent and is well conversant with the facts of the case and is competent to swear this affidavit on behalf of the Respondent No. 3.

NOTARY V.L.SHUKLA Advocate & Notary Reg.No.27(01)/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) NOTARIAL NOTARIAL 06/11/23

2. That this affidavit is being filed in compliance of the order dated 02.05.2023 passed by the Hon'ble Tribunal.

   At the very outset it is most respectfully submitted that the Respondent No.3 is an statutory authority constituted under the Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973 and exercises its powers and jurisdiction limited to only the said Act, 1973. It is humbly submitted that the Respondent No.3 has no power or jurisdiction to taken any action under any of enactments

(4)

specified in Schedule I of the National Green Tribunal Act, 2010 and under the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012.

3. That in compliance of the orders dated 07.09.2022 passed by this Hon'ble Tribunal, a Joint Committee comprising of representatives of Ministry of Jal Shakti, Government of Uttarakhand, Mussoorie Dehradun Development Authority, Uttarakhand Pollution Control Board and District Magistrate, Dehradun submitted its report dated 30.11.2022 through Uttarakhand Pollution Control Board. This fact with regard to the submission of the report of the Joint Committee so constituted by this Hon'ble Tribunal finds place in the order dated 20.12.2022 of this Hon'ble Tribunal.

4. That in its aforesaid report dated 30.11.2022, the Joint Committee has clearly mentioned that S. Harvinder Singh/Respondent No. 5 constructed 02 Rooms, 01 Kitchen and Toilet in an area measuring 11.7 Mtrs. X 12.00 Mtrs. on the bank of Chandrabhaga River. The report further mentions that no discharge of sewer is found in Chandrabhaga River.

NOTARY
V.L.SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27/01/2003
GOVT OF UTTARAKHAND (INDIA)

5. That the aforesaid report dated 30.11.2022 further mentions that the Respondent No. 3 has registered a Case No. C-0429 of 2022 dated 03.10.2020 against the unauthorized construction raised by the Respondent No. 5 and pursuant thereto, the Respondent No. 3 passed the Sealing Order dated 12.10.2020. The construction has been sealed on 14.10.2020 except 02 Rooms, 01 Kitchen and Toilet wherein the Respondent No. 5 along with his family was/is

(5)

residing. Copy of Sealing Order dated 12.10.2020 along with the sealing report dated 14.10.2020 is being filed and placed as **ANNEXURE-1** to this affidavit.

6. That the aforesaid Sealing Order dated 12.10.2020 was challenged by the Respondent No. 5 by filing Appeal No. 24 of 202-21 before the Hon'ble Chairman, MDDA/Commissioner, Garhwal Mandal, who vide order dated 05.11.2020 partly allowed the Appeal of Respondent No. 5 directing the Respondent No. 3 to compound the compoundable portion, if compoundable as per the byelaws and to take action against the non-compoundable construction. Further, the Respondent No. 5 was directed to submit the compounding map before MDDA/Respondent No. 3 within three weeks from the date of order and further directed the Respondent No. 3 not to seal the 02 Rooms, Kitchen and Toilet wherein the Respondent No. 5 is residing till the disposal of the compounding map. Status quo to be maintained. Copy of order dated 05.11.2020 passed by the Hon'ble Chairman, MDDA/Commissioner, Garhwal Mandal is being filed and placed as **ANNEXURE-2** to this affidavit.

NOTARY
V.L.SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27(01)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

7. That it is respectfully submitted that the Respondent No. 3 had sealed the unauthorized portion leaving 02 Rooms, 01 Kitchen and Toilet in (which the Respondent No. 5 was residing) already on 14.10.2020.

8. That pursuant to the aforesaid order dated 05.11.2020 passed by the Hon'ble Chairman, MDDA/Commissioner, Garhwal Mandal, the Respondent No. 5 submitted the

compounding map through on-line process vide application No. CR-0311/20-21/RE-1 which was auto rejected on 23.03.2021 on account of not removing the objections by the Respondent No. 5 which were raised on the compounding map by the Respondent No.3.

9. That the Respondent No. 5 did not submit any fresh compounding map and therefore the Respondent No. 3 issued Show Cause Notice dated 12.10.2022 to show cause as to why the entire construction be not sealed, and the date 21.10.2022 was fixed for appearance of the Respondent No. 5. Copy of Show Cause Notice dated 12.10.2022 issued by the Respondent No. 3 is being filed and placed as **ANNEXURE-3** to this affidavit.

NOTARY V.L.SHUKLA Advocate & Notary Reg.No.27(01)/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

10. That in compliance to the aforesaid Show Cause Notice dated 12.10.2022 issued by the Respondent No. 3, the Respondent No. 5 appeared on 21.10.2022 before the Respondent No. 3 and the matter was adjourned to 11.11.2022 and 25.11.2022. On 25.11.2022 the Respondent No. 5 agreed to demolish the non-compoundable portion and accordingly 23.12.2022 was fixed.

11. That on 23.12.2022, the Respondent No. 5 sought further time period for demolition of the non-compoundable portion and therefore 06.01.2023 was fixed.

12. That on 06.01.2023 the Respondent No. 5 appeared before the Respondent No. 3 and submitted that the non-compoundable portion has been demolished by him.

13. That the Junior Engineer and Assistant Engineer of the Respondent No. 3 submitted their report dated 07.02.2023 stating that the Respondent No. 5 has demolished the roof in the front set-back of the house and further stated that no new construction was being carried out. Copy of report dated 07.02.2023 along with its typed copy and photograph revealing the demolition/removal of the unauthorized construction is being filed and placed as **ANNEXURE-4** to this affidavit.

14. That in view of the above factual position and action taken by the Respondent No. 3 in the manner as above, the present application is liable to dismissed as against the answering Respondent No. 3.

15. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 02.05.2023 has directed the deponent to remain present through video conference on 11.07.2023. The deponent submits that the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital has, in Contempt Petition No. 56 of 2023- Smt. Preetam Kaur V/s Mohan Singh Barnia, directed the deponent to remain physically present before the Hon'ble High Court on 11.07.2023 and therefore the deponent would not be able to remain present through video conference before the Hon'ble Tribunal on the said date. Copy of order dated 15.06.2023 passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in Contempt Petition No. 56 of 2023 is being filed and placed as **ANNEXURE-5** to this affidavit.

NOTARY V.L.SHUKLA Advocate & Notary Reg.No.27(01)2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

16. That presently Sub-Divisional Magistrate, Rishikesh, who is also the nominated Presiding Officer/Joint Secretary on

behalf of the Respondent No. 3 for Rishikesh Zone, and is fully competent and authorized to take action against the unauthorized and illegal construction and accordingly the proceedings in Case No. C-0429/2020 against Respondent No. 5 are being conducted by him.

17. That the deponent respectfully submits that in view of the above submissions, personal appearance on 11.07.2023 through video conference before this Hon'ble Tribunal be exempted.

NOTARY
V.L.SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27(01)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above-named deponent, do hereby verify the contents of this Counter Affidavit as true and correct and are verified on the basis of record. The annexures are true copies of the original. Nothing material has been concealed.

Verified today the 6th day of July, 2023 at Dehradun.

DEPONENT

Identified by

Amit Chaudhary
Advocate
at
Dehradun
Reg. No. UA5541/04

S.No. 416/2023
This affidavit is sworn before me by
Shri Mohan Singh Barnia
who is identified by Shri Amit Chaudhary Adv.
at Dehradun on 6/7/2023

Smt Vijay Laxmi Shukla
Advocate & Notary, D.Dun

ANNEXURE - 1 (9)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

संख्या: 667/सी–0429/वा0प0/ऋषि0/2020

दिनांक 12/10/2020

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

बनाम

श्री हरबिन्दर सिहं,
माया कुन्ड,चन्द्रेश्वर नगर,चन्द्रभाग रिवर
ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

सील आदेश

विपक्षी द्वारा बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये माया कुन्ड,चन्द्रेश्वर नगर,चन्द्रभाग रिवर, ऋषिकेश में भूतल एवं प्रथम तल पर लगभग 25 फीट गुणा 60 फीट के क्षेत्रफल में भूतल पर व्यवसायिक निर्माण कार्य किये जाने पर प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरूद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एंव धारा–28 के अन्तर्गत विकास कार्य रोको नोटिस दिनांक 03.10.2020 प्रेषित करते हुए पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनाक 09.10.2020 की तिथि नियत की गयी थी। विपक्षी नियत तिथि पर उपस्थित हुआ तथा विपक्षी द्वारा शमन मानचित्र ऑन–लाईन जमा करने हेतु समय की मॉग की गयी । अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा चोरी–छिपे निर्माण किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है । स्थल पर पिवक्षी द्वारा लगभग 4.50 मीटर गुणा 12.00 मीटर अतिरिक्त भूतल भाग पर निर्माण कर छत डालते हुए कुल 11.60 मीटर गुणा 12.00 मीटर के क्षेत्रफल में निर्माण कर लिया गया है ।

अतः स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–28 के आदेशों का उल्लंघन करते हुए लगातार निर्माण किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण मौके पर स्थाई रूप से बन्द कराये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा–28–1(क) के अधीन सील किया जाना आवश्यक है। अतः अनाधिकृत निर्माण धारा–28–1(क) अधीन सील करने का आदेश तत्काल प्रभाव में पारित किया जाता है। अनाधिकृत निर्माण को **दिनांक** 14/10/2020 को ही पूर्वान्ह 11.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सील किया जाए।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित कराये। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे और न होने दे, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाए।

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपिः

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि नियत तिथि व समय में स्थल पर कानून व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रेट एंव पुलिस बल तैनाती के आदेश देने का कष्ट करें।
3. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली. ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त दिनांक 14/10/2020 को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ की उक्त **दिनांक** 14/10/2020 को प्राधिकरण वाहन, चालक सहित एवं सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मय सील सामग्री सहित उक्त दिनांक को पूर्वान्ह 11 बजे शाखा कार्यालय ऋषिकेश में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

12.10.2020
सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

12/10/2020

NOTARY
V.L.SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27(01)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

ANNEXURE - 2

न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

अपील संख्या–24/2020–21

अन्तर्गत धारा 28 क (4) उत्तराखण्ड नगर योजना एवं विकास अधिनियम

सरदार हरविन्दर सिंह **बनाम** सचिव, एम0डी0डी0ए0

नकल आदेश दि0 – 5-11-2020

प्रश्नगत अपील सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश पत्रांक 667/सी–0429/व0प्र0/ऋषि0/2020 दिनांक 12–10–2020 के विरूद्व योजित की गयी है।

अपील की ग्राह्यता पर वि0 अधिवक्ता को सुना। वि0 अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रश्नगत सम्पत्ति नगर पालिका संख्या 26/21 क्षेत्रफल 265.80वर्गमीटर स्थित चन्द्रशेखर मार्ग, ऋषिकेश का स्वामी है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति विकय विलेख दिनांक 13–08–2020 द्वारा क्रय की गयी थी। अपीलार्थी को प्राधिकरण द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03–10–2020 प्राप्त हुआ जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है जबकि स्थल पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है। उक्त नोटिस के कम में अपीलार्थी दिनांक 09–10–2020 को प्राधिकरण में उपस्थित हुआ तथा शमन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शमन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया गया तथा दिनांक 23–10–2020 की तिथि सुनवाई हेतु नियत कर दी। दिनांक 12–10–2020 को प्राधिकरण द्वारा निर्माण को सील करने के आदेश पारित किये गये जबकि स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त आदेश बिना सुनवाई के ही प्राधिकरण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी का परिवार उक्त सम्पत्ति में निवास कर रहा है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये ही आक्षेपित सीलिंग आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त करने का अनुरोध वि0 अधिवक्ता द्वारा किया गया।

प्राधिकरण के आदेश का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण के आदेश में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी द्वारा बिना प्राधिकरण की अनुमति के स्थल पर भूतल एवं प्रथम तल पर लगभग 25 फीट गुणा 60 फीट के क्षेत्रफल में भूतल पर व्यवसायिक निर्माण कार्य किये जाने पर नोटिस दिनांक 03–10–2020 प्रेषित करते हुये वाद योजित किया गया। विपक्षी को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09–10–2020 की तिथि नियत की गयी। विपक्षी नियत तिथि को उपस्थित हुआ तथा विपक्षी द्वारा शमन मानचित्र ऑनलाइन जमा करने हेतु समय की मांग की गयी। अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा चोरी छिपे निर्माण किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। स्थल पर विपक्षी द्वारा लगभग 4.50 मीटर गुणा 12.00 मीटर अतिरिक्त भूतल भाग पर निर्माण कर छत डालते हुये कुल 11.60 मीटर गुणा 12.00 मीटर के क्षेत्रफल में निर्माण कर लिया गया है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा आदेशों का उल्लंघन करते हुये लगातार निर्माण किया जा रहा है। अतः उक्त आधार पर निर्माण को सील करने का आदेश प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है।

प्रकरण में प्राधिकरण से आख्या प्राप्त की गयी। प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या 710/सी–0429/2020 दिनांक 03–11–2020 में उल्लेख किया गया है कि स्थल मायाकुण्ड चन्द्रेश्वर नगर, चन्द्रभागा नदी के किनारे लगभग 25फीट X 60 फीट क्षेत्रफल में निर्माण किये जाने के कारण श्री हरविन्दर सिंह के विरूद्व वाद संख्या सी–0429/2020 सेक्टर ऋषिकेश दिनांक 03–10–2020 को

NOTARY V.L.SHUKLA Advocate & Notary Reg.No.27(01)/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Colly.

(11)

योजित किया गया था। नोटिस के बावजूद विपक्षी द्वारा लगभग 4.50 मी0 x 12.00 मी0 अतिरिक्त अन्य निर्माण कर लगभग 11.60मी0 x 12.00 मी0 के क्षेत्र में निर्माण किया गया जिसको दिनांक 14-10-2020 को सील किया गया। सीलिंग की कार्यवाही के दौरान विपक्षी के अनुरोध पर व उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विपक्षी के निवासरत दो कमरे, किचन व बाथरूम को छोड़कर शेष भवन सील किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त भवन को शमन किये जाने हेतु कोई शमन मानचित्र व भूस्वामित्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथापि उक्त भवन चन्द्रभागा नदी के किनारे से लगभग 30 मीटर के अन्तर्गत होने के कारण प्रथमदृष्टया शमनीय नहीं है।

प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि बिना प्राधिकरण की अनुमति के स्थल पर निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत सीलिंग आदेश पारित करते हुये सम्पत्ति के कुछ भाग को दिनांक 14-10-2020 को सील कर दिया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसे सुनवाई व शमन मानचित्र प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही आक्षेपित सीलिंग आदेश पारित किया गया है। प्राधिकरण के आदेश से भी यह स्पष्ट होता है कि सुनवाई हेतु नियत प्रथम तिथि दिनांक 09-10-2020 को अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण में उपस्थित होकर शमन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था लेकिन अपीलार्थी को समय प्रदान न कर प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी के निवासरत वाले भाग को छोड़कर सम्पत्ति का शेष भाग दिनांक 14-10-2020 को सील कर दिया तथा शेष भाग सील करने हेतु दिनांक 03-11-2020 को अपीलार्थी को पुनः नोटिस प्रेषित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी अपने निर्माण को शमन कराने को तैयार है अतः न्यायहित में अपीलार्थी को शमन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जाना उचित होगा।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त उनके द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र का स्थलीय परीक्षण करते हुये प्राधिकरण के बायलॉज के आलोक में सकारण आदेश पारित कर शमनीय निर्माण को शमन किया जाय व अशमनीय निर्माण के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाय। अपीलार्थी आदेश जारी होने के तीन सप्ताह के अन्दर शमन मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करे व स्थल पर यथास्थिति बनाये रखे तथा कोई निर्माण कार्य न करे। नियत समयावधि के अन्दर शमन मानचित्र प्रस्तुत न किये जाने अथवा निर्माण कार्य किये जाने की दशा में प्राधिकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। शमन मानचित्र के निस्तारण तक अपीलार्थी के निवासरत दो कमरे, किचन व टायलेट को सील किये जाने से प्राधिकरण को निषिद्व किया जाता है। आदेश की प्रति प्राधिकरण को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित हो।

दिनांक 5/11/2020.

(केवल शासकीय प्रयोजनार्थ)
प्रमाणित

Raman
(रविनाथ रमन)
आयुक्त/अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

अहलमद 6/11/2020
न्यायालय आयुक्त
गढ़वाल मण्डल
शिविर देहरादून

NOTARY
V.L.SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27(01)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

ANNEXURE-3 (12)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी,ऋषिकेश,जिला–देहरादून।

(निर्माण सील हेतु कारण बताओ नोटिस)

पत्रांकः 1031 /वाद संख्या–सी–0429/व0प0/ऋषि/2020 दिनांक– 12/X/,2022

श्री हरविन्दर सिंह,
माया कुण्ड चन्द्रेश्वर नगर , चन्द्रभागा नदी के किनारे ,
ऋषिकेश , जिला देहरादून ।

आपके विरूद्व इस प्राधिकरण में विचारधीन वाद संख्या सी–0429/ व0प0/ऋषि/2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें। आप द्वारा बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये माया कुण्ड चन्द्रेश्वर नगर , चन्द्रभागा नदी के किनारे ,ऋषिकेश , जिला देहरादून में भूतल एवं प्रथम तल पर 25फिट गुणा 60फिट के क्षेत्रफल में भूतल पर व्यवसायिक निर्माण कार्य पर प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरूद्व उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा–27(1) एंव धारा–28(1) के अन्तर्गत दिनांक 03.10.2020 को नोटिस प्रेषित करते हुए अवैध निर्माण का वाद योजित किया गया था। प्रकरण में सम्यक सुनवाई के उपरान्त प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरूद्व उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973) संशोधन अधिनियम–2013 की धारा–28(1)क के अन्तर्गत कार्यालय पत्रांक 667/वाद संख्या–सी–0429/व0प0/ऋषि/2020 दि0 12–10–2020 द्वारा सीलबन्द के आदेश पारित करते हुए सीलबन्द हेतु दि0 14–10–2020 की तिथि नियत की गई थी। उक्त के कम में आप द्वारा प्रस्तुत पत्र दि0 14–10–2020 में शमन मानचित्र प्रस्तुत करने का उल्लेख करते हुए सीलबन्द की कार्यवाही स्थगित कर निर्माण को शमन करने का अनुरोध किया गया था। उक्त सीलबन्द आदेश के कम में कार्यालय द्वारा दिनांक 14.10.2020 को दो कमरे , किचन व टायलेट को छोडकर शेष भवन कर सील किया गया था । उक्त सील बन्द आदेश के विरूद्व मा0 न्यायालय अध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी में अपील संख्या 24/2020–21 (सरदार हरविन्दर सिंह बनाम सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण) योजित किया गया था। उक्त अपील पर मा0 न्यायालय द्वारा दिनॉक 05–11–2020 को आदेश पारित किये गये थे कि– अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त उनके द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र का स्थलीय परीक्षण करते हुए प्राधिकरण के बाइलॉज के आलोक में सकारण आदेश पारित कर शमनीय निर्माण को शमन करें व अशमनीय निर्माण के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाय तब तक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दि0 12–02–2020 को प्रभाव स्थगित करते हुए आपको शमन मानचित्र 03सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने तथा शमन मानचित्र के निस्तारण तक स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने व निर्माण कार्य न करने हेतु निर्देशित किया गया था। नियत समयावधि के अन्दर शमन मानचित्र प्रस्तुत न करने अथवा निर्माण कार्य किये जाने की दशा में प्राधिकरण आदेश दि0 12–10–2020 के कम में सील कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। आप द्वारा प्रश्नगत निर्माण को शमन कराये जाने हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत ऑनलाईन शमन आवेदन संख्या सीआर–0311/20–21आरई–1/आरई–1 कतिपय सूचित आपत्तियों के निराकरण न किये जाने के फलस्वरूप दिनॉक 23–03–2021 को (Auto Rejection) निरस्त हो गया है। विपक्षी द्वारा पुनः अभी तक प्रश्नगत वाद को शमन कराने हेतु ऑनलाईन मानचित्र जमा जमा कराने की कोई लिखित सूचना/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । किये गये निर्माण की शिकायत विभिन्न स्रोतों से बार–बार प्राप्त हो रही है ।

अतः आपको अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि आप प्रकरण में सुनवाई हेतु **दिनांक** 21/10/2022को पूर्वान्हन 1.00 बजे स्वंय अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर मौके पर किये जा रहे समस्त निर्माण के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करें कि क्यों न प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरूद्व प्राधिकरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सीलबन्द के आदेश पारित कर दिये जायें ?

यदि आप द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होकर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है एवं तद्नुसार समस्त अवैध निर्माण के विरूद्व सीलबन्द के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

NOTARY V.L. SHUKLA Advocate & Notary Reg.No.27(91)/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

11/X/22

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।

(13)

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

आख्या/टिप्पणी

ANNEXURE-4

सहायक अभियन्ता/ अधि०अभि०

कृ० एन०जी०टी० के अधिवक्ता राहुल वर्मा के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें उनके द्वारा हरविन्द्र सिंह चन्द्रशेखर नगर द्वारा किये गये निर्माण के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है। अवगत कराना है कि श्री हरविन्द्र सिंह के नाम से प्राधिकरण में वाद सं०- C-429/2020 योजित है। जिसमें प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुए कुछ भाग को सील किया गया था। श्री हरविन्द्र सिंह द्वारा भवन के अग्र भाग में किये गये छत के निर्माण को काट कर हटाया भी गया है। वर्तमान में स्थल पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थल के फोटोग्राफ संलग्न है। पूर्व में उक्त स्थल का निरीक्षण एन०जी०टी० की समिति द्वारा भी किया गया था। आख्या अवलोकनार्थ व अधिवक्ता को ~~अग्रसारित~~ प्रेषित करने हेतु अग्रसारित

Sd/-
7/2/2023
J.E (PMU)

Sd/-
07/02/23 (AE)

Sd/-

NOTARY
V.L.SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27(01)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

T/c Copy (14)

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

आख्या / टिप्पणी

सहायक अभियन्ता / अधि0 अभि0

कृ0 एन0जी0टी0 के अधिवक्ता राहुल वर्मा के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा हरविन्द्र सिंह चन्द्रेश्वर नगर द्वारा किये गये निर्माण के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है। अवगत कराना है कि श्री हरविन्द्र सिंह के नाम से प्राधिकरण में वाद सं0 सी–429 / 2020 योजित है, जिसमें प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुये कुछ भाग को सील किया गया था। श्री हरविन्द्र सिंह द्वारा भवन के अग्र भाग में किये गये छत के निर्माण को काट कर हटाया भी गया है। वर्तमान में स्थल पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थल के फोटोग्राफ संलग्न है। पूर्व में उक्त स्थल का निरीक्षण एन0जी0टी0 की समिति द्वारा भी किया गया था। आख्या अवलोकनार्थ व अधिवक्ता को प्रेषित करने हेतु अग्रसारित।

ह0 / –	ह0 / –
07–02–2023	07–02–2023
जे0ई0	ए0 ई0

NOTARY
V.L.SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27/01/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

ANNEXURE- 5 (16)

SL. No	Date	Office Notes, reports, orders or proceedings or directions and Registrar's order with Signatures	COURT'S OR JUDGES'S ORDERS
	15/06/23		CLCON No.56 of 2023 **Hon'ble Ravindra Maithani, J.** Mr. Sagar Kothari, Advocate for the petitioner. Mr. Rahul Consul, Advocate for the respondent. The petitioner has brought to the notice of the Court that the respondent-contemnor has made wilful disobedience of the order dated 21.11.2022, passed in WPMS No.2872 of 2022, Smt. Preetam Kaur Vs. Mussorie Dehradun Development Authority and Others ("the petition"), which was subsequently modified on 09.01.2023. Heard. The contempt petition was first taken up on for hearing on 28.02.2023. On 02.03.2023, this Court requested learned counsel for the respondent-contemnor to get necessary instructions, which were never sought. On 03.03.2023 also, this Court required learned counsel for the Opposite Party to get instructions and in the meanwhile, the respondent-contemnor was directed that no further construction is raised, pursuant to the order dated 21.11.2022 passed in the petition. Today, the Court requested the learned counsel for the respondent-contemnor to tell, as to whether the order,

NOTARY V.L.SHUKLA Advocate & Notary Reg.No.27(01)/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Colly

17

of which non compliance has been reported, has been complied with or not? He would submit that he would file a detailed counter affidavit.

This is unacceptable. Twice, learned counsel for the respondent-contemnor was required to get instructions, which he failed to do.

It appears that, prima facie, the respondent-contemnor has committed contempt of the Court.

Let issue notice to the respondent-contemnor to appear before this Court personally on 11.07.2023, so that charges may be framed against him.

Sd/-

(Ravindra Maithani J.)

15.06.2023

RV

Compared by. S

PHOTOSTAT TRUE COPY

17.06.23

Assistant Registrar (Copying)
High Court Of Uttarakhand
Nainital

NOTARY
V.L.SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27(01)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Colly

(18)

(1)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

CONTEMPT PETITION NO. 56 OF 2023
(Under Section 12 of Contempt of Courts Act, 1971)

DISTRICT: DEHRADUN

Smt. Preetam Kaur (Female) aged about 75 years W/o Late A.S. Kaliya, R/o 18, Balliwala Chowk, Dehradun, through her power attorney holder Harpreet Singh (Male), aged about 41 years, S/o Shri A.S. Kaliya, R/o 18, Balliwala Chowk, Kanwali Road, Dehradun.

................Petitioner/Applicant

VERSUS

Mohan Singh Barniya, Secretary, Mussoorie-Dehradun Development Authority, Transport Nagar, Near I.S.B.T., Dehradun.

.... Opposite Party

To,

The Hon'ble Chief Justice and his other companion Judges of the aforesaid court.

The humble petition of the above named applicant most respectfully showeth as under:-

NOTARY V.L.SHUKLA Advocate & Notary Reg.No.27(01)2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Proof of service.

The response from the remote server was:

552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found

---------- Forwarded message ----------
From: Vinay Garg <office.vgarg@gmail.com>
To: xyz@ymail.com, Mukesh Verma
<mvermadv@gmail.com>, rahulverma9999@rediffmail.com
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 7 Jul 2023 06:20:34 -0700
Subject: Reply by way of affidavit on behalf of respondent no.3 MDDA, Dehradun
----- Message truncated -----

V ReplyForward

DTDC Express Limited
Regd.Office: No-3,Victoria Road
Bengaluru - 560047

ORIGIN		DEST.	
POUCH NO.		DATE	

Vendor Code : 107445

Non Negotiable Consignment Note / Subject to Bengaluru Jurisdiction.

The consignment note is not a tax invoice. A tax invoice will be made available by DTDC or it's channel partner as the case may be, upon request.

1 Sender's (Consignor) Name: Ph: 7/7/2023
Company Name & Address: Vinay Goel
C-253 Defence Colony
City: State: Pincode:
Delhi 110024
Sender's GSTIN*: *Where Applicable

2 Recipient's (Consignee) Name: Amit DAS Ph:
Company Name & Address: 329, Chandershwar Nagar
City: State: Pincode:
Recipient's GSTIN*: Dehradun 249201 *Where Applicable

3 Nature of consignment (✓) Dox ☐ Non-Dox ☐ Total Num Pcs:

DIM 1: L	cm X B	cm X H	cm X	Pcs	Actual Wt.:		kg
DIM 2: L	cm X B	cm X H	cm X	Pcs	Volumetric Wt.:		kg
DIM 3: L	cm X B	cm X H	cm X	Pcs	Chargeable Wt.:		kg

4 Description of Content | Total Value of consignment for carriage / E-Way Bill: ₹

5 Paper Work Enclosures

6 Type of consignment (✓) Commercial ☐ Non Commercial ☐

7 Value Added Services Not Available | CN Expiry Date

10 I/We declare that this consignment does not contain personal mail, cash, jewellery, contraband, illegal drugs, any prohibited items and commodities which can cause safety hazards while transporting

Sender's Signature & Seal

Date: Time: AM/PM
I have read and understood terms & conditions printed overleaf of this consignment note and I agree to the same.

9 Charges	Amount(₹)
a) Tariff (incl. Of FSC + Taxes)	
b) Risk Surcharge	
c) Total amount (a+b)	

Above charges are inclusive of GST & other taxes if applicable
Mode of Payment: Cash ☐ Card ☐ Wallet ☐

11 Booking Branch / Franchisee Code
Courier Signature

8 Mode(✓) Surface ☐ Air Cargo ☐ Express ☐

Consignment Number: Z17640569

12 Risk Surcharge

Owner	☐
Carrier	☐

Download MyDTDC

http://www.dtdc.in || customersupport@dtdc.com || +91-7305770577 SENDER COPY March 2023